कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले व ह) –**II**, महाराष्ट्र, नागपुर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II
MAHARASHTRA CIVIL LINES, NAGPUR 440 001
Ph: 0712-2565161-67 / Fax: 0712 – 2560484
Email: agaeMaharashtra2@cag.gov.in
Web: https://cag.gov.in/ae/nagpur/en

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Tender Notice

Sealed tenders are invited by the office of the Principal Accountant General (A&E)- II, Maharashtra, Civil lines, Nagpur in the prescribed tender form to be obtained from this office for manufacturing of 5 (Five) large heavy Weight Iron Racks for office use.

Tenders should be supported with Earnest Money Deposit Receipt/Challan copy of Rs. 9000/- (Rupees Nine thousand only) deposited in State Bank of India, Kingsway Branch, Nagpur. The Contractor whose quotation is accepted shall have to deposit a sum of Rs. 15000/- (Rupees Fifnteen thousand only) as Security Deposit within three days of acceptance of tender.

The Tender Forms together with the Terms and Conditions for manufacture of iron racks can be obtained from the Asstt. Accounts Officer/Incharge (Old Records) of the office of the Principal Accountant General (A&E)-II, Maharashtra, Nagpur at the cost of Rs. 200/- per form, on any working day between 10 AM and 5 PM during 17.08.2026 to 31.08.2026. The details of contract have been uploaded on this office website https://cag.gov.in/ae/nagpur/en

---Sd---
Sr. Accounts Officer

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेवह)-।।, महाराष्ट्र नागपुर

लोहे की रेक बनाने हेतु नियम एवं शर्ते

इस कार्यालय के ओल्ड रिकार्ड अनुभाग के लिए रिकार्डो को रखने हेतु लोहे की बडी रेक बनाने के लिए निविदा प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित नियम एवं शर्तो/मुद्दो पर ध्यान दे तथा यह नियम एवं शर्तो लागू रहेगे।

1. मुहरबंद निविदा वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ओल्ड रिकार्ड, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-।।, महाराष्ट्र, नागपुर, को संबोधित होनी चाहिए एवं उसके शीर्ष पर 'लोहे की रेक बनाने हेतु निविदा' लिखित होना चाहिए। निविदा दिनांक 03.09.2026 को दोपहर 3 बजे तक प्राप्त की जाएंगी एवं इच्छुक ठेकेदारों/फर्म की उपस्थिति में दिनांक 03.09.2026 शाम 4 बजे खोली जाएगी।

2. ठेकेदारों को बयाना के रूप में रू 9000/- रूपये (नौ हजार सिर्फ) की एकमुश्त राशी भारतीय स्टेट बैंक, किंगस्वे शाखा, नागपुर में जमा करनी होगी एवं निविदा साथ चलान की एक मूल प्रति संलग्न करनी होगी।

3. यदि निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो, सफल बोली लगाने वाले कोः

(अ) इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने के तीन दिनों के भितर सुरक्षा जमा राशी रुपये 15000/- (रूपये पंद्रा हजार केवल) भारतीय स्टेट बैंक, किंगस्वे, नागपुर में मुख्य लेखा शीर्ष 8443 के अंतर्गत जमा करनी होगी और चलान की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। यह राशी सफल ठेकेदार को निविदा कार्य के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर वापिस कर दी जाएगी। इस राशी पर ब्याज देय नहीं होगा |

4. रेक पूर्ण रूप से (Iron Rack) लोहे की होगी, जिसमें एंगल (Iron L Angle- 65 X 65 X 5 mm and 35 X 35 X 5 mm) पट्टी (Iron Patti 25 X 5 mm) सलाख, (Iron Square bar - 8mm) बेस पट्टा (Iron Base Patta - 4 inch) नट बोल्ट (Iron Nut & Bolt) आदि संम्मिलित है।

5. रेक की लंबाई (height) X चौडाई (width) X गहराई (depth) का साईज 8 ft X 13.6 ft X 37 inch रहेंगा। इस में 6 Floor रहेंगे यानी 6 रेक बॅक्स रहेंगे। निविदा में प्रति रेक की किमत का उल्लेख करना जरूरी है। उसी प्रकार तैयार एक रेक के कुल वजन (अंदाजन) का उल्लेख करना भी जरूरी है।

6. रेक ऐसी तैयार अथवा बनाई जानी चाहिए जिसे भविष्य में अलग-अलग कर एक स्थान से दुसरे स्थान ले जा कर दुबारा से फिट किया अथवा रखा जा सके।

7. ओल्ड रिकार्ड अनुभाग में वर्तमान में उपलब्ध रेक को देखकर कर लिखित रूप में सुनिश्चित किया जाना है कि, निविदां अंतर्गत बनने वाली रेक इसी प्रकार कि एवं समान होगी। इस संबंध में निविदाकर्ता को वर्तमान में कार्यालय मे उपलब्ध रैक का निरिक्षण करना होगा तथा निरिक्षण करने के पश्चात् इस कार्यालय को एक प्रमाणपत्र अपने हस्ताक्षर एवं व्यक्ति या एजेंसी के नाम का रबर स्टाम्प सहित प्रस्तुत करना आवश्यक होगा| प्रमाणपत्र का फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध रहेगा|

8. ठेका पूर्ण अथवा रेक बनाने की समय सिमा कार्य आदेश देने के बाद 30 दिनों तक की रहेगी।

9. रेक बनाने के लिए लगने वाला मटेरियल का संपूर्ण खर्च फर्म/ठेकेदार को ही करना होगा। कार्य शुरू करने, रैक को पेंटिंग का खर्च, रैक के कार्यालय तक पहुचाने का खर्च, रेक के हस्तातंरण एवं फिटींग तक सभी खर्च ठेकेदार /एजेंसी को ही पहले करना है| अग्रिम राशी का भुगतान नहीं होगा। सम्पूर्ण कार्य समाधानकारक सम्पन्न होने पर सभी देय राशी का एक मुश्त भुगतान इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा|

10. निविदा में दिए गए रेट के हिसाब से ही कार्यालय में रेक फिट करने के बाद कार्यालय द्वारा रेक की जांच के उपरांत ही संपूर्ण राशी का भुगतान ठेकेदार द्वारा बताए गए बैंक खाते में किया जाएगा।

11. निविदा में दिए गए रेट, सामान आदि की रेक बनने अथवा कार्यालय के ओल्ड रिकार्ड में लगने के बाद यदि उसमें किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो फर्म/ठेकेदार को उसे सही अथवा दुरूस्त करने हेतु 15 दिनों की मोहलत दी जाएगी। यदि इस अवधि में रेक निमार्ण में पाई गई तृटियां दूर नहीं किया जाता तो, कार्यालय द्वारा सुरक्षा राशी का भुगतान रोका जा सकता है|

12. निविदा अंतर्गत कार्य हेतु भाग लेने वाले सभि ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि, निविदा के साथ जमा किये गए बयाना /सुरक्षा जमा राशी पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं है| असफल ठेकेदारों को उनकी जमा बयाना राशी को सफल ठेकेदार को कार्यादेश जारी करने के बाद शीघ्रता से वापिस किया जायेगा| सफल ठेकेदार को उनकी सुरक्षा जमा राशी कार्य समाप्ति के पश्चात् तुरंत वापिस कि जाएगी|

13. रेक बनने, फिटींग, करते समय, लेकर आने जाने संबंधित हानी एवं मजदूरों को काम करते समय किसी भी प्रकार की हानी होती है तो, उसकी पूर्ण जवाबदारी फर्म/ठेकेदार पर रहेंगी।

14. बनाई गई सभी रेक को Dark Grey Colour से पेंट करना होगा।

15. यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया कोई भी कर देय हो तो, उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा ही किया जाएगा। हांलाकि सरकारी नियमानुसार बिल राशी से आयकर कि कटौती होगी| इस कार्यालय द्वारा TDS प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा|

16. निविदा फार्म एक लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा करे।

- एस.एस.आय.युनिट रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र/दुकान पंजीकरण (गुमास्ता)/रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र होना जरूरी है, उसका प्रमाणपत्र साथ में जोडे
- निविदाकर्ता (ठेकेदार) को किसी भी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। निविदाकर्ता को इस संबंध में अपने लेटर हेड पर एक स्व-घोषणा पत्र तैयार कर एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्क है।
- यदि निविदाकर्ता का कोई पार्टनर अथवा साथी है तो उन दोनों का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र/पार्टनरशिप प्रमाणपत्र कि प्रति आवेदन के साथ जोडना होगा।
- निविदा फार्म के साथ दिए गए Mandate form को भरकर साथ में जोडना होगा।
- किसी सरकारी कार्यालय में इस प्रकार के किये गए कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो तो, अवश्य प्रस्तुत करे| ताकि कार्य आवंटित करने में सहायता हो सके एवं एजेंसी को वरीयता दि जा सके|

17. यदि फर्म/ठेकेदार करार करने के 30 दिनों के भितर रेक बनाने में असफल रहे तो, उसे रजिस्ट्री द्वारा नोटिस दिया जाएगा और यदि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-।।, महाराष्ट्र नागपुर को ऐसा लगता है कि, फर्म/ठेकेदार रेक के संबंध में बच रहा है तो, उसे सात दिनों की मोहलत की चेतावनी दी जाएगी। यदि इस अवधी में इस कार्य से संबंधित कोई प्रगति नहीं नजर आती है तो, ठेकेदार के जिम्मे पर रेक बनाने के प्राप्त ठेके को रद्द कर दिया जाएगा एवं प्रतिभूति जमा राशी को जब्त कर लिया जाएगा।

18. निविदा से संबंधित उल्लेखित सभी नियमों एवं शर्तो का अनुपालन की जवाबदेही फर्म/ठेकेदार की होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में, कार्यालय प्रधान महालेखाकार या सक्षम प्राधिकारी (लेखा व हकदारी)-।।, महाराष्ट्र, नागपुर, का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

19. निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

(क) यदि वह मुहरबंद नहीं हो तो।

(ख) यदि दस्तावेज संलग्न नहीं हो तो।

(घ) यदि फर्म/ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो तो।

(छ) यदि लेखनी स्पष्ट नहीं हो और काट-छाट (Over-writing) उचित प्राधिकारी (Signatory Authority) द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो तो।

(ज) यदि निर्धारित समय में प्राप्त नहीं होता है तो।

20. उपरोक्त किसी भी शर्त/नियम का उल्लंघन करने पर आवश्यक एवं उचित कारवाई कि जाएगी|

21. किसी भी या सभी निविदा को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ओ.रि